



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- सीकर में पुलिस थाना कोतवाली, नीमकाथाना का हैडकानिस्टेबल एवं उसका दलाल 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 22 मई, रविवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अनिल कुमार हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना, जिला सीकर को उसके दलाल बोदूराम (प्राइवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें तथा उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमें में मदद करने की एवज में अनिल कुमार हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा उसके दलाल बोदूराम (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चंद एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल बोदूराम (प्राइवेट व्यक्ति) को को परिवादी से 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अनिल कुमार हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना, जिला सीकर को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।